न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई
सत्र वाद संख्या–109 / 25
{खैरा थाना कांड संख्या–225 / 24 से उत्पन्न}

आदेश

12.01.2026 1– अभियोजन के आवेदन दिनांक 03.12.2025 तथा उसपर अभियुक्तगण के प्रतिउत्तर दिनांक 09.01.2026 पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2– अभियोजन के विद्वान अधिवक्त आपने आवेदन को प्रचालित करते हुये निवेदन करते है कि प्रस्तुत केस में आरोप पत्र में वर्णित सभी साक्षीगण की गवाही माननीय न्यायालय में दिया जा चुका है लेकिन अनुसंधानकर्ता के द्वारा इस कांड के कुछ महत्वपूर्ण गवाहों का नाम आरोप पत्र में नहीं दर्शाया गया है, लेकिन न्यायहित में उनकी गवाही आवश्यक है, जिन गवाहों की गवाही अभियोजन के तरफ से कराना है, उनका विवरण दिया जा रहा है।

1. कांड दैनिकी के कंडिका 23 में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट अनुसंधानकर्ता द्वारा तैयार किया गया है जिस मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर दयानंद साव पे0 नुनेश्वर साव साकिन पकरी (मृतक का मौसा), सूरज कुमार पे0 कपिलदेव साकिन नवडीहा (मृतक का चचेरा भाई) तथा अंचलाधिकारी, खैरा का हस्ताक्षर है, जिनका साक्ष्य आवश्यक है।

2. उसी प्रकार जप्ती सूची (1) पर साक्षी सूरज कुमार पे0 कपिलदेव साव साकिन नवडीहा, थाना खैरा जिला जमुई तथा रोहित कुमार पे0 अरविन्द्र कुमार साकिन नवडीहा थाना खैरा जिला जमुई का साक्षी के रूप में हस्ताक्षर है, जिनका साक्ष्य कराना आवश्यक है।

3. यह कि प्रस्तुत केस में एफ0एस0एल0 के रिपोर्ट की मांग की गई है, जिसका रिपोर्ट भी न्यायालय में उपलब्ध कराना है।

इस प्रकार अभियोजन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त वर्णित साक्षीगण की गवाही कराने हेतु अनुमति प्रदान कर उपरोक्त साक्षीगण की उपस्थिति हेतु दस्ती सम्मन निर्गत करने की कृपा की जाय।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिउत्तर को प्रचालित कर निवेदन किया गया है कि अभियोजन द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 03.12.2025 विधि एवं तथ्य की दृष्टि से पोषणीय नहीं है। अभियोजन द्वारा उक्त आवेदन वाद के विचारण को विलम्ब करने के उद्देश्य से दाखिल किया गया है। अभियोजन द्वारा मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के साक्षियों का साक्ष्य कराने हेतु निवेदन किया गया है परन्तु

लगातार.....

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई
सत्र वाद संख्या–109 / 25
{खैरा थाना कांड संख्या–225 / 24 से उत्पन्न}

–लगातार–

12.01.2026

मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पहले ही न्यायालय द्वारा प्रदर्श किया जा चुका है इस लिए मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के साक्षियों का साक्ष्य आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार जप्ती सूची के साक्षियों का साक्ष्य कराने हेतु भी अभियोजन द्वारा निवेदन किया गया है, परन्तु इस वाद में उक्त जप्ती सूची पहले ही प्रदर्श अंकित किया जा चुका है तथा अभियोजन द्वारा आवेदन की कंडिका 04 में एफ0एस0एल0 रिपोर्ट मांगने का निवेदन किया गया है। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि एक ही आवेदन में अलग–अलग अनुतोष जबतक एक दूसरे से सम्बन्धित ना हो, नहीं मांगा जा सकता है। अतः अभियोजन का आवेदन दिनांक 03.12.2025 खारिज करने का निवेदन करते है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया, जिससे विदित होता है कि इस वाद में आरोप पत्रित सभी साक्षियों का साक्ष्य हो चुका है, परन्तु पुलिस द्वारा मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के स्वतंत्र साक्षियों तथा जप्ती सूची के स्वतंत्र साक्षियों का नाम आरोप–पत्र में साक्षी के रूप में अंकित नहीं किया गया है, जबकि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट एवं जप्ती सूची के साक्षी सारवान साक्षी हैं, जिसके समक्ष मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट एवं जप्ती सूची बनायी गयी और न्यायालय में इन साक्षियों के साक्ष्य से इस केस के तथ्यों को स्पष्ट एवं प्रकाशित होने में मदद मिलेगा। जहॉ तक इस वाद में एफ0एस0एल0 के रिपोर्ट को मांगने के संबंध में अनुतोष का प्रश्न है तो अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि इस न्यायालय में इस वाद से संबंधित एफ0एस0एल0 का रिपोर्ट ज्ञापांक संख्या 2100 / 25 दिनांक 17.11.25 के द्वारा दिनांक 10.12.2025 को ही प्राप्त हो चुका है जो अभिलेख के साथ संलग्न है।

अतः उपरोक्त विवेचन तथा इस वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों में अभियोजन के आवेदन दिनांक 03.12.25 को स्वीकृत किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि अभियोजन के आवेदन दिनांक 03.12.25 में अंकित साक्षियों को साक्ष्य हेतु अभियोजन के माध्यम से दस्ती सम्मन निर्गत करें।

वाद दिनांक **19.01.2026** वास्ते अभियोजन साक्ष्य हेतु निश्चित।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई